

प्रेषक,

दीपक कुमार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,  
नियर बालाजी मंदिर, झाझरा, देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग:

देहरादून: दिनांक: 9 जून, 2016

विषय: उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, के कार्यों के संचालन हेतु आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2016-17 के एक हिस्से हेतु स्वीकृत लेखानुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक UCS&T/सचि0/2016-17/11178 दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, को आध्यादेश संख्या-उत्तराखण्ड विनियोग(लेखानुदान) आध्यादेश संख्या-02,2016 दिनांकित 31 मार्च, 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के एक हिस्से हेतु स्वीकृत लेखानुदान धनराशि ₹13333.00 हजार के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में प्रथम किश्त हेतु धनराशि ₹ 6663.00/- हजार (छियासठ लाख तिरसठ हजार मात्र) निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन संलग्नक में उल्लिखित मदों के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वचनबद्ध मदों तथा वेतन, मंहगाई भत्ता, विद्युत देय, जलकर, प्रभार किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्त कार्मिकों के वेतन हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिए भुगतान तथा मानदेय आदि मदों की व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि इन मदों के अर्न्तगत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
2. वचनबद्ध मदों/निदेशक प्रशासन के अतिरिक्त संचालित विभिन्न परियोजनाओं यथा शोध, अनुसंधान, विज्ञान लोकव्यापीकरण, उद्यमिता विकास/समाज एवं विज्ञान कार्यक्रम, हिमालय सिस्टम सांइस, बौद्धिक सम्पदा अधिकार केन्द्र, तकनीकी संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं तकनीकी हस्तान्तरण हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्य/परियोजनावार फाट कर योजनाओं की कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि का व्यय किया जायेगा एवं आगामी वित्तीय स्वीकृति के समय में योजनावार व्यय धनराशि से शासन को अवगत कराया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि की उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा। जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों। नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व में संगत मदों में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें

वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए तथा प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-23 एव आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. अनुदान के अन्तर्गत प्रविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
8. बी0एम0-8 पर संकलित मासिक सूचनायें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। माह में किये गये कार्यों का प्रमाण-पत्र/विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवंटित धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा किये गये कार्यों एवं वार्षिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय-समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जाए।
9. स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 के अनुपालन में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. व्यय करने से पूर्व जहाँ सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसे व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2017 तक करते हुए प्रत्येक माह का बी0एम0-13 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 004 अनुसंधान तथा विकास-07-उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद-00-आयोजनागत के मानक मद, 20- सहायक अनुदान/अशंदान/ राजसहायता के नाम डाला जायेगा।

संलग्नक-अलोटमेन्ट आई0डी0 एवं मदवार आवंटित धनराशि।

भवदीय

(दीपक कुमार)  
सचिव।

संख्या: 217(1)/XXXVIII/ 16-21/2011 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वैद्य बालेन्दु प्रकाश, क्लेमनटाउन, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋचा)

अनु सचिव।